HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1888/2026

Sadeek Son Of Shri Musa, Aged About 35 Years, Resident Of Village Utval, Police Station Bagadtiraya, Alwar, District Alwar (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Guruvindra Singh
For Respondent(s)	:	Mr. A.K.Gupta, PP Mr. Shubham Saini, AAAG

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना बगड़ तिराया जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 329/2025 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(2), 352, 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि दोनों पक्षकारों के मध्य झगड़ा हुआ है। प्रकरण में घटना की क्रॉस एफआईआर उनके द्वारा दर्ज करवाई गई है जिसमें परिवादी पक्ष के विरूद्ध भी धारा 189(2), 115(2), 126(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता में आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है तथा अभियुक्त पक्ष के आस मोहम्मद को गम्भीर चोट कारित हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा साक्षीगण के कथनों में प्रार्थी पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने शमी खान के सिर पर सरिया मारा तथा रेहाना को थप्पड़ मारे हैं। शमी खान को एक चोट कारित हुई है जो साधारण एवं कुंद आले की होना तथा प्राणघातक नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। वह दिनांक 26.12.2025

से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि उस पर जमील खान को प्राणघातक चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना कारित की है जिससे घटना में जमील खान को प्राणघातक चोट आई है। शमी खान के भी फ्रण्टो पैराईटल क्षेत्र जो कि मार्मिक भाग है, पर प्रार्थी द्वारा चोट कारित की गई है। गम्भीर अपराध है, अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर जमील खान को प्राणघातक चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। उसके द्वारा शमी खान को चोट कारित किया जाना बताया गया है जो साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित है तथा प्राणघातक प्रतिवेदित नहीं की गई है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य क्रॉस केस दर्ज हैं, जिनमें आरोप–पत्र पेश हो चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.12.2025 से अभिरक्षा में है, अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **सदीक पुत्र मुसा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /52